अपन-23

परियोजना का नाम :- जनपद मार्गकार में जिला थोजना के अर्नागता ग्रेशिना से कीम् भार भागी कानिमील

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अस्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम किन्यु उम्रत तहसील कपकोट्ट, जिला खागे अवर

उत्ताराखण्ड में जनपद विभिन्न के अनुपति प्रमाण पूर् के जिन्हां के निर्माण हेतु (- १०० है० आरक्षित वन भूमि, ----- है० सिनिल सोयम भूमि 1.000हे०, वन संचासत भूमि 1.400 है०) अर्थात कुल २.८५६है० वा भूमि का

द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेंतु आवेदन प्रस्तुत किया गया । उवत प्रकरण के विषय में आम पंचायत राजिना-हीय जारा दिनांक?ऽ।योप को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोवता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत प्रधा की गई। यह कि वन बिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन गूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी प्रामवासियों द्वारा स्थष्ट किया गया कि उवत वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया ज़ा रहा है। इसके अविरिवस परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामशासियों के परम्परागत अधिकारों का हन्न नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त गाम स्था हाम सर्वसम्मति श निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया म्या कि ग्राम शामिता की भागवासियों को उक्त बन भूमि सार्वान थ किएकोट प्रयोक्ता एजन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रभाणित किया जो सत्य एवं शही है।

80/- felde ग्राम सचिव

्रिक्ट हैं। जान जान पंचायत कीमू विक खाक कएकोट बागेश्वर

नोट :- * यदि किसी आदिवासी अध्या वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाता। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मठित समिति द्वारा प्रपत्त केर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

> मिनिस्मी योत्र पंचायत गोगीना विश्वयाक्तपकोट गोग्यको 28/12/14

प्रपन्त 23.1

दिनांक श्रिडी 12 (ए) को गाम सभा की सम्पन्न है। व की उपस्थिति धाम पंचायत किन्नू गांव

कर्माक ताम समा में समस्थत	गरिख यामवासियों के नाम
(9)	
र्भ । आन्सिहं	
का अहमार्री	14-1-1-1-1
(4) padel	
(6) MI M (2)	
(B) Hendenson (h)	
(9) Sundas singly	
12 gray Tim	
- 12 मलिह	
ज्यादी में कि का	
3 Leve RTS	
0 17 875	3

21101 121 E CHE HITZ CHE HITZ EXHALITE STATE S

प्रधान प्रमान प्राम प्रचायत कीम् वि काश्राक्षकोट वागेश्वर

उपराक्त गाम पंचायत में स्वयं भेरे कारियों की सहमति होकर हरवाश्रेर कराये गाम पंचायत में स्वयं भेरे सहस्र बन्ने में लेड आपति नहीं हैं

तिन भिडिप दोन पंजाबत गोगाना विकास अवस्थित १९४४ 25/12/14

J. R. C. D. P. N. D. KAPKOT

प्रपन्न-23.2 जनपद लोग्थ्यर म जिल्ला भोजना के अन्तर्गत सामिना कीम् भोटर भार्श की निर्माण (ठनाटर) परियोजना का नाम :-

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कपकेर अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, - कपकोट

क्याकर परिक्षेत्र के अन्तर्गत योशिमा से कीम् मेद्र भाति निशील ०३ ८८ (है० आरक्षित वन भूमि, क्ष्य है० सिविल एवं सोयम वन भूमि १०९९ है० वन भूमि) का वह ्यावश्रव भूमि। अर्थ अर्थात कुल ३ ३ ५ ६० वन भूमि) का व्यापा प्रविध्य प्रयोगता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियाम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील - कपकार) की दिनांक 🥫 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन गिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री देनाम प्रिट मे लिज उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

श्री के ताम मिर रोजिया त्याजिलाधिकारी -प्रमाणीय वनाधिकार अस्ति । अस् सदस्य विकास वार्ड सदस्य / सचिव अन्येत्र केम्प्यत वोसीना प्रिथाल प्रियोग्सी क्षेत्र — स्पे क्रिका

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी ्वि0लाकपकोट नागेश्वर की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया

स्न कीम मोट्साज का निर्माठा (07 Km) -परियोजना हेत्.2450 हैं।

ला गरेन वि कपलार नामें कार

- प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत बनाधिकार का कोई मामला लिखत नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अमिर्बर द्वारा अनुस्थित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सान्यंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पन्न प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मित से स्मुखण्ड किएकार परिक्षेत्र के अन्तर्गत हो। होन की स्मुखण्ड किएकार परिक्षेत्र के अन्तर्गत हो। होने की स्मुखण्ड किएकार के निर्माण हेतु 2.450 है। वन भूमिला कि बाबत एके की जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुगति प्राप्त कर स्वावतिति किये जाने पर सहमित बाबत की गयी। उप क्रिलाधिकारी / अक्यहा उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील कंप्रकाट तहसीलd12|2014 जनपद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उप जिल्लाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड सारीय वन अधिकार पामिति तहसील- कपकार जनपद वागेश्वर नेकार हान्द्र स्पर्केट शक्पय-कागेलार

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जिला योजना के अन्तर्गत गोगिना-कीमू (7.00 किमी) नव निर्माण में स्थानीय काश्तकारों की जितनी नापभूमि सड़क निर्माण में काटी जायेगी, उस भूमि का मुआवजा नियमानुसार जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध सर्किल दरों के आधार पर भुगतान लोक निर्माण विभाग करेगा। यदि भू—स्वामी उपलब्ध न हो तो उस दशा में उनके आश्रितों को नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर मुआवजा काश्तकारों को विभाग द्वारा वितरित किया जायेगा।

जिलाधिकारी वागेश्वर

कपकोट

ANNEXURA-1

Office of the Deputy Commissioner District Bageshwar(U.K)

Proceeding of the meeting of the district level committee of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA).2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection /elaims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Bageshwar

Datado 35 12- 2014

Deputy Commissioner Charman

District Level Committe

Form-II

(for liner project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Bageshwer

N0	Dated

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.450 hectares of forest and proposed to be diverted in favour of Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Gogina-Kimu motor road in distt-Bageshwer.

It is further certified that :-

- (n) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who are eligible under the FRA: YES
- (o) The each of concered Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that day have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion A copy of certificate issued by the gram sabha of Kimu Village (s) is enclosed as annexure.......
- (p) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (q) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (r) The right of primitive gropes and pre-agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the the FRA: NA

Encl: As above

Bhupal Singh Manral
District Collector
Bageshwar

Form-1 (for liner project) Government of Uttarakhand Office of the District Collector Bageshwer

N0	Dated
2 1 0 111 111 111 111 111 111 111 111 11	

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's latter No- 11-9/98 FC (pt) dated 03 Aug 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non forest proposed read with MOEF's latter dt. 5th feb 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.450 hectares of forest and proposed to be diverted in favor of Construction Division Public Work Department Kapkot District Bageshwar Uttarakhand for Construction of Gogina-Kimu motor road in distt Bageshwer district falls within It is further certified that:-

- (g) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.450 hectares of forest area proposed for dirversion A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee are enclosed as annexure- to annexure....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
- (h) The diversion of forest land for facilities managed by the Governent as required under section 3 (2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent it;.....Not application as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwelers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities. Certificate prescribed in form 23-4 attached.

Enclosed- as above

Signature

Dated

(Bhupal Singh Manral

District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत गोगिना कीमू (7.00 किमी) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत गोगिना-कीमू (7.00 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 2.450 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी0 दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ०एफ०सी० केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

्राज्याची कारी व्यापन वागेश्वर

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम :- जिला योजना के अन्तर्गत गोगिना कीमू (7.00 किमी) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर में जिला योजना के अन्तर्गत गोगिना—कीमू (7.00 किमी) परियोजना के निर्माण हेतु 2.450 है0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग कपकोट प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण—पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण—पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिलाधिकारी बागेश्वर